कार्यपालक अभियंता का कार्यलय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, सासाराम

केवल ई0 निविदा पद्वति के अुनसार वेबसाईट एवं www.eproc2.bihar.gov.in पर

एकल बीड ई0 निविदा आमंत्रण सूचना संख्या— 07/2026—2027

1. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :— कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सासाराम।
2. निविदा आंमत्रण की तिथि :— 27.08.2026
3. परिमाण विपत्र (अपलोड/डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय :— दिनांक— 10.09.2026 से 01.10.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक।
4. मूल कागजात जमा करने की अंतिम तिथि एवं स्थान :— निविदा खोलने की तिथि एवं समय से पहले अपराह्न 1.00 बजे तक।
   a. कार्यपालक अभिंयता, भवन प्रमण्डल, सासाराम।
   b. अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा।
   c. मुख्य अभियंता (दक्षिण) भवन निर्माण विभाग, पटना
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :— दिनांक— 03.10.2026 को 3:30 बजे अपराहन तक।
6. प्रीबीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :— दिनांक— 14.09.2026 को अधीक्षण अभियंता भवन अंचल आरा के कार्यालय।
7. परिमाण—विपत्र की बिक्री एवं स्थान :— वेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in
8. निविदा प्राप्ति का स्थान :— वेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in
9. निविदा वैधता की तिथि :— 120 दिन।

10. कार्य का विवरण :—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (न लौटाने योग्य)	ई—निविदा Bid processing fee	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Repair work of Karakat Bhawan with Re-installation of Cement corrugated Sheet and roof treatment of district judge office Building Sasaram.	27,50,500.00	55,100.00	5,000.00	As Per Online Requirement	3 माह।

11. भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक उक्त निविदा में भाग ले सकेंगे।
12. परिमाण—विपत्र की राशि स्वीकृति के पश्चात घट/बढ सकती है। तदुनसार अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
13. कार्य की विशिष्टियों अथवा निविदा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार की पृच्छा या स्पष्टीकरण प्रीबिड मीटिंग की तिथि को या उससे पूर्व की जा सकती है। उसके बाद निविदा से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।
14. इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्वि पत्र वेबसाइट पर www.eproc2.bihar.gov.in पर ही संसूचित किया जायेगा।
15. केवल ई—निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट पर www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जायेगा। ई—निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकरी Toll Free No. 18005726571 एवं Email ID : eproc2support@bihar.gov.in पर सभी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
16. ई—निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक संवेदकों को ई—प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें (User ID) तथा पासवर्ड (Password) मिलेगा। संवेदक को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई—निविदा में भाग ले सकेंगे।

17. निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ www.eproc2.bihar.gov.in से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

18. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

19. निविदा कागजात का मूल्य 5000/– (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा) को वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार Online Mode मे ही स्वीकार किया जायेगा।

20. Bid Processing Fee + Applicable Tax को संवेदक के द्वारा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से (कॉलम 6) के अनसुसार B.S.E.D.C के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। यह फीस निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है।

21. E-proc 2.0 प्रणाली के तहत मात्र Online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जायेगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र B.G (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जायेगा, संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G को Scan अपलोड करेंगे तथा B.G भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। E-proc 2.0 में परिमाण–विपत्र की राशि Internet Payment Gateway के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G के रूप में दी जाती है तो B.G कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सासाराम के नाम से भारतीय Schedule बैंक से निर्गत होना आवश्यक है, जिसका Online Verification किया जायेगा।

22. सभी मूल कागजात यथा परिमाण–विपत्र के मूल्य के लिये जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद तथा अग्रधन के रूप में जमा किये जाने योग्य B.G (Bank Guarantee) की मूल प्रति अथवा Online Mode में जमा किए गए राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) को कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल सासाराम अथवा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल आरा, अथवा मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के कार्यालय में तकनीकी बीड खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा करना अनिवार्य है, ऐसा नही करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

23. निविदादाता को किसी भी कार्य विभाग द्वारा निविदा में भाग लेने से रोक नहीं/काली सूची में शामिल नहीं होने के संदर्भ में शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा।

24. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पूर्व समय रहते हुए परिमाण–विपत्र डाउनलोड एवं निविदा उपलोड कर दे, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बांधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा।

25. प्रारंभिक प्रतिभूति एवं जमानत की प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र या PWD Code में उल्लेखित अन्य प्रतिभूति राशि, जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो मान्य होगी।

26. पथ निर्माण विभाग, बिहार का अधिसूचना सं0 447 (S) सह–पठित ज्ञापांक 448 (S) दिनांक 16.01.2020 किए गए प्रावधान के अनुसार Additional Performance Gurantee देय होगा। (न्यूनतम प्रतिशत दर की कोई सीमा नहीं है। परिमाण विपत्र की दर से न्यूनतम दर की स्थिति में अतिरिक्त परफॉरमेन्श गारंटी नियमानुकूल देय होगा)।
(क) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूत Additional Performance Gurantee प्रति 01 प्रतिशत उद्वत कम दर के लिए दिया जायेगा।
(ख) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूत Additional Performance Gurantee प्रति 01 प्रतिशत उद्वत कम दर के लिए दिया जायेगा।
(ग) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूत Additional Performance Gurantee प्रति 01 प्रतिशत उद्वत कम दर के लिए दिया जायेगा।
(ध) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूत Additional Performance Gurantee प्रति 01 प्रतिशत उद्वत कम दर के लिए दिया जायेगा।

27. डिफेक्ट लाईविलिटी पिरियड मरम्मति कार्य की स्थिति में 1 वर्ष एवं निर्माण कार्य की स्थिति में 3 वर्ष का होगा।

28. परिमाण–विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृत पश्चात् घट/बढ़ सकती है।

29. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिषत राशि श्रमिकों के लिये कोष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।

30. संवदेक अपने सभी अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित तिथि सहित अंकित हो, करने के पश्चात स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सकें। सभी अभिलेख PDF, MS Office (compatibility made), JPEG, ZIP format में ही Upload किए जाय, अन्य Format में Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
31. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।
32. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक के द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।
33. निविदा अभिलेख के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र, जी0 एस0 टी0 प्रमाण पत्र, जी0 एस0 टी0 सफाया प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षर कर समर्पित करना होगा।
34. निविदादाता निविदा लेने के पूर्व, कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी एवं निर्माण समाग्रियों से पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लें बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
35. अगर निविदा प्राप्ति की तिथि को अपरिहार्य कारण से अवकाश घोषित होता है, तो उस दिन को की जाने वाली निविदा संबंधी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस को होगी।
36. समय–समय पर विभाग द्वारा दिए गए अनुदेश निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।
37. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिये कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सासाराम या अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल आरा से किसी भी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
38. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
39. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
40. आवंटन उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जायेगा।
41. विस्तृत जानकारी हेतु बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in/www.prd.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
42. CWJC No 9941/2022 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 06.07.2023 मान्य होगा।
43. पथ निर्माण विभाग पटना का कार्यालय आदेश संख्या–07 दिनांक 10.01.2024 के आलोक में निविदा से संबंधित सभी कागजात सभी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेगे/निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नही होगा।

Manish Singh 27/08/26

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, सासाराम।

मुकेश 27.08.26